

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना/नालन्दा/भोजपुर/बक्सर/रोहतास/
कैमूर/गया/नवादा/औरंगाबाद/जहानाबाद/अरवल/
सारण/सीवान/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण/
पश्चिम चम्पारण/वैशाली/सीतामढ़ी/शिवहर/दरभंगा/
समस्तीपुर/मधुबनी/भागलपुर/बांका/मुंगेर/जमुई/
बेगूसराय/लखीसराय/शेखपुरा/खगड़िया/सुपौल/
मधेपुरा/सहरसा/कटिहार/पूर्णिया/किशनगंज तथा अररिया।

पटना, दिनांक जनवरी, 2016

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना के मांग सं0-22, मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस-110-ग्राम पुलिस- चौकीदार-
दफादार स्थापना अंतर्गत विभिन्न विषयशीर्षों में आवंटन।

महाराय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक-396/वि0, दिनांक 24.04.2015 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2015 के पारित होने एवं गृह (आरक्षी) विभाग के पत्रांक-179, दिनांक 11.01.2016 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से राशि स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप उक्त मुख्य शीर्ष के अंतर्गत चौकीदार/दफादार स्थापना के विभिन्न विषय शीर्षों में उपबंधित राशि में से संलग्न विवरणी-1 के अनुसार कुल ₹ 6,26,78,000 (छह करोड़ छब्बीस लाख अठहत्तर हजार रु0) मात्र का आवंटन दिया जाता है।

2. उपर्युक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में मांग सं0-22 तथा मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-110-ग्राम पुलिस, उप शीर्ष-0001-चौकीदार-दफादार स्थापना के विभिन्न विषय शीर्षों एवं विपत्र कोड N2055001100001 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3. उपर्युक्त राशि से बकाये वेतनादि का भुगतान किया जा सकता है। यदि चौकीदार-दफादार के बकाये वेतनादि से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश हो तो उक्त राशि का भुगतान इस आवंटित राशि से किया जाय और तत्पश्चात अतिरिक्त राशि की मांग की जाय।

4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561, दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। वित्त विभाग के परिपत्र सं0-5294, दिनांक 17.06.2015 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजनान्तर्गत सभी व्यय के लिए विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक 17.04.1998 की कंडिका-2 में प्रावधानित बंधेज को पूर्णरूपेण शिथिल किया गया है। इसके फलस्वरूप आवंटित राशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

5. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेंगी।

6. उपर्युक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित विपत्र पर की जाय।

7. उपर्युक्त राशि की निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जाय।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का उल्लेख अवश्य किया जाय।

9. डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण-पत्र तीन माह के अंदर समर्पित किया जाय।

10. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जाय।

अनु0-यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0-6/ब0गै0यो0-01-32/2015गू0आ0.....पटना, दिनांक जनवरी, 2016

प्रतिलिपि :-महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी-जिला कोषागार-पटना/नालन्दा/भोजपुर/
बक्सर/रोहतास/कैमूर/गया/नवादा/औरंगाबाद/जहानाबाद/अरवल/सारण/सीवान/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/पूर्वी
चम्पारण/पश्चिम चम्पारण/वैशाली/सीतामढ़ी/शिवहर/दरभंगा/समस्तीपुर/मधुबनी/भागलपुर/बांका/मुंगेर/जमुई/बेगूसराय
/लखीसराय/शेखपुरा/खगड़िया/सुपौल/मधेपुरा/सहरसा/कटिहार/पूर्णिया/किशनगंज तथा अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0-6/ब0गै0यो0-01-32/2015गू0आ0.....पटना, दिनांक 21 जनवरी, 2016

प्रतिलिपि :- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/पूर्णिया/भागलपुर/मुंगेर/दरभंगा/मगध प्रमंडल, गया/तिरहुत प्रमंडल
मुजफ्फरपुर/सारण प्रमंडल छपरा तथा कोशी प्रमंडल सहरसा/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13


cm

विवरणी-1

वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना के मांग सं0-22 तथा मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-110-ग्राम पुलिस, उपशीर्ष-0001-चौकीदार-दफादार स्थापना तथा विपत्र कोड N2055001100001 अंतर्गत विषय शीर्ष 05 01-पुरस्कार तथा 13 06-वर्दी/पोशाक में आवंटित राशि का जिलावार विवरण :-

क्र0	जिला का नाम	कार्यरत बल	05 01-पुरस्कार	13 06-वर्दी/पोशाक	कुल (स्तम्भ-4+5)
1	2	3	4	5	6
1	पटना	686	5100	2058000	2063100
2	नालन्दा	636	4300	1908000	1912300
3	भोजपुर	639	4300	1917000	1921300
4	बक्सर	410	2700	1230000	1232700
5	रोहतास	631	4200	1893000	1897200
6	कैमूर	487	3200	1461000	1464200
7	गया	814	5500	2442000	2447500
8	नवादा	387	2600	1161000	1163600
9	औरंगाबाद	507	3400	1521000	1524400
10	जहानाबाद	202	1400	606000	607400
11	अरवल	124	900	372000	372900
12	सारण	768	5200	2304000	2309200
13	सीवान	549	3700	1647000	1650700
14	गोपालगंज	623	4200	1869000	1873200
15	मुजफ्फरपुर	900	6000	2700000	2706000
16	पूर्वी चम्पारण	736	3300	2208000	2211300
17	पश्चिम चम्पारण	664	4500	1992000	1996500
18	वैशाली	796	5300	2388000	2393300
19	सीतामढ़ी	1013	6800	3039000	3045800
20	शिवहर	175	1200	525000	526200
21	दरभंगा	677	4600	2031000	2035600
22	समस्तीपुर	630	4600	1890000	1894600
23	मधुबनी	1113	7500	3339000	3346500
24	बेगूसराय	663	4500	1989000	1993500
25	लखीसराय	292	2000	876000	878000
26	शेखपुरा	159	1100	477000	478100
27	खगड़िया	366	2500	1098000	1100500
28	सुपौल	351	2400	1053000	1055400
29	मधेपुरा	411	2800	1233000	1235800
30	सहरसा	339	2300	1017000	1019300
31	कटिहार	587	4000	1761000	1765000
32	पूर्णियाँ	620	4200	1860000	1864200
33	किशनगंज	571	4000	1713000	1717000
34	अररिया	667	4500	2001000	2005500
35	भागलपुर	634	4300	1902000	1906300
36	बांका	435	3000	1305000	1308000
37	जमुई	345	2300	1035000	1037300
38	मुंगेर	239	1600	717000	718600
	योग	20846	140000	62538000	62678000

(छह करोड़ छब्बीस लाख अठहत्तर हजार रू0)


 (आमिर सुबहानी) 20.1.16
 सरकार के प्रधान सचिव